भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *42

25.07.2024 को उत्तर के लिए

वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन

***42. श्री एस. निरंजन रेड्डी:**

क्या ***पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में आवश्यक वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों की न्यूमतम संख्या का निर्धारण करने के लिए कोई अध्ययन कराया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में कितने हस्तचालित (मैनुअल) और सतत वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र स्थापित किए गए हैं और कितने केन्द्र कार्यशील हैं तथा विगत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष ऐसे कितने केन्द्र खोले गए हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा विकसित वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (एआई-एक्यूएमएस वी1.0) को मौजूदा स्टेशनों पर लगाया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या वायु गुणवत्ता निगरानी में सुधार लाने के लिए एआई, जीआईएस मैपिंग और स्मार्ट उपकरणों जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन" के संबंध में श्री एस. निरंजन रेड्डी, माननीय संसद सदस्य द्वारा दिनांक 25.07.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *42 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख)

किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आवश्यक वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की न्यूनतम संख्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के परामर्श से वर्ष 2019 के दौरान विकसित जनसंख्या आधारित मानदंडों के आधार पर तय की जाती है। परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क को डिजाइन करने के मानदंड निम्नवत हैं:

परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की न्यूनतम संख्या के लिए मानदंड

जनसंख्या (जनगणना 2011)	**राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनएएमपी) के अंतर्गत हस्तचालित स्टेशनों की न्यूनतम संख्या**	**प्रस्तावित सीएएक्यूएमएस (सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों) की न्यूनतम संख्या**	**कुल**
1,00,000- < 5,00,000	1-बैकग्राउंड 2-आवासीय/वाणिज्यिक	1-आवासीय	4
5,00,000- <10,00,000	1- बैकग्राउंड 2-आवासीय/वाणिज्यिक	1-आवासीय 1-यातायात बाहुल्य क्षेत्र 1- वाणिज्यिक	6
10,00,000- <50,00,000	1- बैकग्राउंड 2-आवासीय/वाणिज्यिक	2-आवासीय 1-यातायात बाहुल्य क्षेत्र 1-वाणिज्यिक 1-औद्योगिक क्षेत्र	8
≥50,00,000	1-ऊपर की ओर हवा की दिशा में बैकग्राउंड 1-नीचे की ओर हवा की दिशा में बैकग्राउंड 2-आवासीय/वाणिज्यिक	4-आवासीय 3-यातायात बाहुल्य क्षेत्र 3-वाणिज्यिक 2-औद्योगिक क्षेत्र	16

परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क में देश भर के कुल 1504 (हस्तचालित और सतत) स्टेशन शामिल हैं। हस्तचालित निगरानी नेटवर्क में 419 शहरों के 963 स्टेशन और सतत निगरानी नेटवर्क में 280 शहरों के 541 स्टेशन शामिल हैं।

पिछले तीन वर्षों में जोड़े गए ऐसे हस्तचालित और सतत निगरानी स्टेशनों में की गई वृद्धि और कुल संख्या इस प्रकार हैं:

परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क में वृद्धि

स्टेशन		2021-22	2022-23	2023-24
हस्तचालित (एनएएमपी)	**जोड़े गए**	**64**	**28**	**53**
	कुल	882	910	963
	शामिल किए गए शहर	378	389	419
	शामिल किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	35	35	35
सतत (सीएएक्यूएमएस)	**जोड़े गए**	**9**	**143**	**85**
	कुल	313	456	541
	शामिल किए गए शहर	156	242	280
	शामिल किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	27	31	31

(ग) और (घ)

स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (एक्यू-एआईएमएस) एक सेंसर आधारित वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली है। वर्तमान में, सेंसर सहित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एनएएक्यूएस), 2009 में विनिर्दिष्ट तकनीक को छोड़कर किसी भी अन्य तकनीक का उपयोग करके सृजित वायु गुणवत्ता डेटा का उपयोग विनियामक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है क्योंकि इसकी सटीकता, रैखिकता, विश्वसनीयता और दीर्घकालिक प्रदर्शन अभी तक पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हैं।

वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरणों संबंधी स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल) को वायु गुणवत्ता निगरानी यंत्रों और उपकरणों के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन अभिकरण के रूप में अधिसूचित किया है। इस सीएसआईआर-एनपीएल प्रमाणन प्रणाली का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भागीदारी के लिए स्वदेशी विनिर्माताओं को सुदृढ़ करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप उत्पाद प्रमाणन से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान करना है।

*****